


**अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर**

आधिलेख क्रम संख्या- 39/20-21 (VII)

दिनांक	आदेश फलक	अपसुक्ति
3/9/2020	<p>घाट का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के आदेश-2074/रा, दिनांक-13.05.2014 सहजित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा/म/मिति-119/86/2308/रा, दिनांक-03.08.1985 एवं सार-ललित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा, दिनांक-09.12.1998 में विहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजकूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रणय की गयी। जॉच के काम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, कि निम्नलिखित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा- <u>पुकराही</u> खाना नं- <u>155</u> खाला संख्या- <u>81</u> खेत संख्या- <u>1358</u> रकबा- <u>2530</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजकूआ खास, अनायाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाले की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिरंद संख्या- <u>1</u> के पृष्ठ संख्या- <u>238</u> पर जमाबंदी रैयत <u>इश्वर झांशी पिता देवा झांशी</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिबंधित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अर्ध बंदोबस्ती के आधार पर/अर्ध कौड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अर्ध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी त्वां एवं राज्य को हानि कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अर्ध प्रतीत होती है, जिसकी विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दरतावेजो/निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण-पुच्छा करे कि वही नहीं उक्त जमाबंदी को अर्ध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुमति किया जाय।</p> <p>अधिलेख दिनांक- <u>19/9/2020</u> को उपस्थापित करे।</p> <p style="text-align: right;">               अंचल अधिकारी              गोविन्दपुर         </p>	

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

01/9/20

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- ~~इस्खर मांशी~~, ~~पेला~~ :- ~~इस्खर मांशी~~
2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :-
 

	मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
	अस्कारडीह	155	81	1358	25 3/4
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या.....!..... पृष्ठ सं०-..... 238 पर कायम है-
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है-
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- ~~शेर आवाह मांशी~~
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- ~~अखर हखल~~
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण /अवैध भूबन्दोबस्ती) - ~~अखर हखल~~
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) - ~~पंजी-II से~~  
~~अखर हखल~~
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

कम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
-----------	------------------	------------------	------------

अं० ७७० / अं० ७७० / ७७०

महाशय,  
 उपरोक्त भूमि अधारित शेर आवाह पंजी-II के  
 अनुसार शेर आवाह खाते की भूमि ही अधारित मौजा के पंजी  
 जमाबंदी सं०- 238 दख है, शाहीकार कॉलेज के अखर हखल  
 सं०- 74(VII) 64-65 अधारित है उक्त जमाबंदी अधारित  
 शेर आवाह ही जमाबंदी 238 है अखर करवाई की जा  
 सकती है।

*(Signature)*